

सं. ए.12018/02/2020-एसटी-1  
भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
[प्रापण- I (EPW) अनुभाग]


निर्माण भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 24 मार्च, 2021

**विषय: पैकिंग पर्यवेक्षक पद के लिए भर्ती नियमों (RRs) में संशोधन पर सार्वजनिक सूचना -  
टिप्पणियां आमंत्रित करने हेतु**

DoPT के का.ज्ञा. सं. AB.14017/61/2008-Estt.(RR) दिनांक 24.03.2009 के अनुपालन में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ चिकित्सा भण्डार संगठन के अधीन गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो में पैकिंग पर्यवेक्षक पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा, अधिसूचना आदि संलग्न है।

2. इच्छुक पणधारक मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती नियमों के मसौदे पर अपने आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव अपलोड होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर लिखित में अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय कल्याण, कमरा सं. 331-सी, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110011 को डाक द्वारा अथवा उनके ई-मेल पता [cs.bahuguna63@nic.in](mailto:cs.bahuguna63@nic.in) पर अग्रेषित कर सकते हैं।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(सी. एस. बहुगुणा)  
अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष सं. : 23061875

भारत सरकार  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 2021

सा.का.नि. . . .- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो (समूह 'ग' और समूह 'घ'पद) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो में पैकिंग पर्यवेक्षक, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पैकिंग पर्यवेक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021, सरकारी चिकित्सा भण्डार डिपो, जोकि नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और करनाल में स्थित, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीनस्थ चिकित्सा भण्डार संगठन के अधीन हैं।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना-ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता: वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:  
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उन कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1.	पद का नाम	पैकिंग पर्यवेक्षक
2.	पद की संख्या	*14(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतन स्तर	वेतन स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)
5.	चयन पद या अचयन पद	चयन
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष के बीच। * अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद भरे जाने पर 18-27 वर्ष के बीच। i) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू नहीं।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	विभागीय अर्हक परीक्षा के आयोजन के आधार पर डिपो-वार प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	एमटीएस जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :</p> <p>(1) उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) - अध्यक्ष</p> <p>(2) डिपो प्रबंधक - सदस्य</p> <p>(3) सहायक डिपो प्रबंधक/लेखा अधिकारी - सदस्य</p> <p>(4) स्टेशन पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी - सदस्य।</p> <p>टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता डिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और ऐसे मामले में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।</p>
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं होता।

(फाइल सं. ए.12018/02/2020-एसटी.1)

(सी.एस. बहुगुणा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

1.	(क) पद का नाम :	पैकिंग पर्यवेक्षक
	(ख) मंत्रालय/विभाग का नाम :	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
2.	संदर्भ संख्या जिसके तहत भर्ती नियमों पर आयोग की सलाह से अवगत कराया गया था:	शून्य
3.	मूल नियम एवं उसके उपरांत हुए संशोधनों के अधिसूचित होने की तिथि (मूल नियम एवं उसके उपरांत हुए संशोधनों की प्रतियां, विधिवत रूप से पताका और संदर्भ के साथ संलग्न करें)	1983

क्रम सं.	कॉलम सं.	पूर्व अधिसूचना	प्रस्तावित परिवर्तन	परिवर्तन के कारण
1.	पद का नाम	पैकिंग पर्यवेक्षक	कोई परिवर्तन नहीं।	---
2.	पद की संख्या	*30 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	*14 *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	16 पदों को समाप्त कर दिया गया था।
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कोई परिवर्तन नहीं।	---
4.	वेतनमान	260-6-326-ई.बी.-8-350 रुपए	वेतन स्तर - 2 (19900-63200 रुपए)	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार
5.	चयन पद या अचयन पद	चयन	कोई परिवर्तन नहीं।	---
6.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	18-25 वर्ष के बीच। i) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पैंतीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत (अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप	18-25 वर्ष के बीच।  *अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद को भरे जाने पर 18-27 वर्ष के बीच।  i) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. के अनुसार।

		को छोड़कर)में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने की नियत तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय को नामों को भेजने के लिए कहा जाए।	टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू-कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला तथा पांगी उपखंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	मैट्रिक अथवा समकक्षा।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2015 के का.ज्ञा. के अनुसार।
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	नहीं	नहीं	---
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए लागू नहीं।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. के अनुसार।
10.	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर	विभागीय अर्हक परीक्षा के आयोजन के आधार पर डिपो-वार प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर	कोई परिवर्तन नहीं।	----

	स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	सीधी भर्ती द्वारा।		
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	असेम्ब्लर-सह-चेकर, वरिष्ठ बढई और रिकॉर्ड कीपर जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	एमटीएस जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा की हो।	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार 1800/-रुपए के ग्रेड वेतन वाले समूह ग के सभी पदों को एमटीएस के रूप में पदनामित कर दिया गया है।  कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.12.2010 के का.ज्ञा. के अनुसार।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (1) उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा भण्डार) - अध्यक्ष (2) डिपो प्रबंधक - सदस्य (3) सहायक डिपो प्रबंधक/लेखा अधिकारी - सदस्य (4) स्टेशन पर स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय का कोई बाहरी अधिकारी - सदस्य। टिप्पण : उप सहायक महानिदेशक (चिकित्सा	कोई परिवर्तन नहीं।	----

		भण्डार) की अनुपस्थिति में डीपीसी की अध्यक्षता फैक्टरी प्रबंधक/डिपो प्रबंधक द्वारा की जाएगी और ऐसे मामले में कार्यवाही को अनुमोदन के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा।		
13.	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	---